कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

रेल्वे स्टेशन रोड, गुना (म.प्र.) 473001

E-mail : dfot.gun@mp.gov.in, Ph. 07542-259650

क्रमांक / व.नि.स. / वरिष्ठ–NGT-46 / 2023 / 3230 गुना दिनांक / 11/4/23

प्रति,

Consultant (Judicial)
माननीय राष्ट्रीय हरित विकास प्राधिकारण
P.B नई दिल्ली

विषयः– माननीय एन.जी.टी. में प्रचलित प्रकरण क्रमांक / 376 / 2022 अंकित शर्मा एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य शासन में पारित आदेश दिनांक 15.03.2023 के पालन में वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध मे।

संदर्भः– कार्यालयीन पत्र क. / व.नि.स. / वरिष्ठ–NGT-46 / 2023 / 2379 गुना दिनांक 14.03.2023, पत्र क. 2381 गुना दिनांक 15.03.2023 एवं उक्त संबंध में दिनांक 15.03.2023 को माननीय एन.जी.टी. द्वारा वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई सुनवाई में दिये गये निर्देश एवं माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 15.03.2023

----000----

निवेदन है कि संदर्भित वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में माननीय एन.जी.टी. द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में पालन प्रतिवेदन कार्यालयीन पत्र क्र. / व.नि.स / वरिष्ठ–NGT-46 / 2023 / 2492 दिनांक 16.03.2023 से प्रेषित किया गया है **(परिशिष्ट–1 पृष्ठ क्र 1 से 13)**।

प्रकरण में अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है–

1. वन अपराध प्रकरण 110 / 27 दिनांक 19.08.2021 द्वारा अतिक्रमित भूमि विरूद्ध सुरेश पुत्र मांगीलाल अहिरवार निवासी ग्राम सांकरा द्वारा अतिक्रमित भूमि 1¼ बीघा (0.418 हेक्टेयर) को दिनांक 14.03.2023 को जे.सी.बी. मशीन से अतिक्रमण रोधी ट्रंच खुदवाकर अतिक्रमण पूर्ण रूप से बेदखल कर वन विभाग के आधिपत्य में ले लिया गया था। जिसका प्रतिवेदन पत्र क. 2492 दिनांक 16.03.2023 से माननीय न्यायालय की ओर प्रेषित किया गया है।

उक्त प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वन मण्डलाधिकारी बीनागंज के बसूली सूचना पत्र क्रमांक 02 / 2023 दिनांक 06.04.2023 **(परिशिष्ट–2 पृष्ठ क्र. 2)** के पालन में 11 ठूठों की राशि 5070.00 की दुगनी राशि 10140.00 एवं अर्थदण्ड की राशि 2000.00 रूपये कुल राशि 12140.00 रूपये एम.आर.नं. 8833 / 44 दिनांक 08.04.2023 **(परिशिष्ट–2 पृष्ठ क्र. 3)** से बसूल कर चालान नम्बर 051/9999999/0406/04/23/000714 दिनांक 10.04.2023 से एस.बी.आई शाखा गुना को जमा किये गये। जमा उपरांत प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वनमंडलाधिकारी बीनागंज द्वारा प्रकरण क्रमांक / निर्णय / 2023 / 02 / 23–24 / जावक क्र. / 766 / दिनांक 11.04.2023 **(परिशिष्ट–2 पृष्ठ क्र. 4)** से भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 68 के अंतर्गत प्रकरण अभिसंधानित किया जा चुका है।

2. वन अपराध प्रकरण 110 / 21 दिनांक 06.03.2021 विरूद्ध रामभान यादव पुत्र रघुवीर यादव निवासी ग्राम लठ्या द्वारा अतिक्रमित भूमि रकवा 1.440 हेक्टेयर को दिनांक 15.03.2023 को पूर्णतः बेदखल कर वन विभाग के आधिपत्य में ले लिया गया था। प्रतिवेदन पत्र क. 2492 दिनांक 16.03.2023 से माननीय न्यायालय की ओर प्रेषित किया गया है।

उक्त प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वन मण्डलाधिकारी बीनागंज के बसूली सूचना पत्र क्रमांक 03 / 2023 दिनांक 06.04.2023 **(परिशिष्ट–2 पृष्ठ क्र. 5)** के पालन में अर्थदण्ड की राशि 2000.00 रूपये एम.आर.नं. 8814 / 100 दिनांक 08.04.2023 **(परिशिष्ट–2 पृष्ठ क्र. 6)** से बसूल कर चालान नम्बर 051/9999999/0406/04/23/000714 दिनांक 10.04.2023 से एस.बी.आई शाखा गुना को जमा किये गये। जमा उपरांत प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वनमंडलाधिकारी बीनागंज द्वारा प्रकरण क्रमांक / निर्णय / 2023 / 01 / 23–24 / जावक क्र.

/764/दिनांक 11.04.2023 **(परिशिष्ट–2 पृष्ठ क्र. 7)** से प्रकरण को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 68 के तहत अभिसंधानित किया जा चुका है।

विभाग स्तर पर उक्त प्रकरणों में अब कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है। पालन प्रतिवेदन श्रीमान की ओर अवलोकनार्थ एवं यथोचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नः– परिशिष्ट–1 पृष्ठ क. 1 से 13
परिशिष्ट–2 पृष्ठ क. 1 से 07

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

क्रमांक/व.नि.स./वरिष्ठ–NGT-46/2023/3231 गुना दिनांक/11/4/23
प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक शिवपुरी वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. कलेक्टर जिला गुना की ओर आपके पत्र क./क्यू/सि.सूट/19–6/2023/189 गुना दिनांक 11.04.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

   संलग्नः– उपरोक्तानुसार
4. वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र आरोन की ओर उनके पत्र क./465 दिनांक 11.04.2023 के संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि आप स्वयं भी उक्त क्षेत्र पर सतत् निगरानी रखें। प्रश्नाधीन क्षेत्रों में किसी भी परिस्थिति में पुनः अतिक्रमण न होने पाये।

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

रेल्वे स्टेशन रोड, गुना (म.प्र.) 473001

E-mail : dfot.gun@mp.gov.in, Ph. 07542-259650

क्रमांक / व.नि.स. / वरिष्ठ–NGT-46 / 2023 / 2492 गुना दिनांक / 16/3/23

प्रति,

Consultant (Judicial)
माननीय राष्ट्रीय हरित विकास प्राधिकारण
P.B नई दिल्ली

विषयः– माननीय एन.जी.टी. में प्रचलित प्रकरण क्रमांक / 376 / 2022 अंकित शर्मा एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य शासन में पारित आदेश दिनांक 4 / 7 / 2022 के पालन में वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध मे।

संदर्भः– कार्यालयीन पत्र क. / व.नि.स. / वरिष्ठ–NGT-46 / 2023 / 2379 गुना दिनांक 14.03.2023, पत्र क. 2381 गुना दिनांक 15.03.2023 एवं उक्त संबंध में दिनांक 15.03.2023 को माननीय एन.जी.टी. द्वारा वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई सुनवाई में दिये गये निर्देश।

––––000––––

निवेदन है कि संदर्भित वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में माननीय एन.जी.टी. द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है–

1. माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया कि शिकायत में वर्णित अतिक्रमित भूमि जिस पर संबंधित अतिकामक द्वारा फसल नहीं बोयी गई है अथवा जिसको वन विभाग द्वारा अतिक्रमण बेदखल कर मुक्त कराया है वह भूमि वन विभाग के आधिपत्य में ले ली गई है, उसके संबंध में लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / 2379 दिनांक 14.03.2023 (संशोधित पत्र क. / 2381 दि. 15.03.23) के बिन्दु क्रमांक–4 में **"प्रकरण में एक अन्य अतिकमणकारी रामभान यादव जिसके विरूद्ध वन अपराध प्रकरण पी.ओ.आर क. 110 / 21 दिनांक 06.03.2021 जारी है एवं इसके विरूद्ध वनमण्डल गुना के आदेश क. / मा.चि. / 1520 दिनांक 01.08.2022 से बेदखली आदेश जारी किया गया है, द्वारा वर्तमान में स्थल पर कोई फसल आदि बोया जाना नहीं पाया गया"** यह लेख किया गया। उक्त क्रम में वन परिक्षेत्राधिकारी आरोन एवं उनके स्टाफ द्वारा दिनांक 15.03.2023 को मौके पर पहुंचकर उक्त बेदखली आदेश में उल्लेखित भूमि रकबा 1.440 हेक्टेयर को पूर्णतः वन विभाग के आधिपत्य में ले लिया गया है। **(वन परिक्षेत्राधिकारी आरोन से प्राप्त प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 332 दिनांक 15.03.2023 एवं पंचनामा दिनांक 14.03.23, दिनांक 15.03.23 संलग्न है)।**

इसी प्रकार पत्र क्रमांक / 2379 दिनांक 14.03.2023 (संशोधित पत्र क. / 2381 दि. 15.03.23) के बिन्दु क्रमांक–4 में उल्लेखित अतिकामक सुरेश पुत्र मांगीलाल अहिरवार के संबंध में वनभूमि पर पाये गये अतिक्रमण को दिनांक 14.03.2023 को अतिक्रमणरोधी खंती खुदवाकर, निजी भूमि सर्वे क. 52 / 3 से लगी वनभूमि की सीमा पर भी खंती खुदवाकर वनभूमि को पूर्णतः वन विभाग के आधिपत्य में लेकर संबंधित अतिकामक को बेदखल कर दिया गया है। बेदखली की कार्यवाही का पंचनामा इस कार्यालय के पत्र क. 2379 दिनांक 14.03.2023 के संलग्न माननीय एन.जी.टी. को प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त कार्यवाही के संबंध में वन परिक्षेत्राधिकारी से दिनांक 15.03.2023 को प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जो संलग्न है। **(वन परिक्षेत्राधिकारी आरोन से प्राप्त प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 335 दिनांक 15.03.2023 एवं पंचनामा दिनांक 14.03.23 संलग्न है)।**

2. माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया कि भविष्य में उक्त भूमि पर पुनः अतिक्रमण न हो इस हेतु विभाग की क्या कार्य योजना है।

उक्त संबंध में निवेदन है कि अतिक्रामक सुरेश पुत्र मांगीलाल अहिरवार द्वारा अतिक्रमित भूमि पर विभाग द्वारा अतिक्रमणरोधी खंती खुदवाई गई हैं भविष्य में उक्त भूमि पर किसी प्रकार की कोई फसल बुवाई या कृषि कार्य कर पुनः अतिक्रमण न होने पावे इस हेतु वन स्टाफ को क्षेत्र की सतत् निगरानी हेतु निर्देशित किया गया है। **(वन परिक्षेत्राधिकारी आरोन से प्राप्त प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 335 दिनांक 15.03.2023 एवं पंचनामा संलग्न है)।**

इसी प्रकार अतिकामक रामभान पुत्र रघुवीर यादव द्वारा पूर्व अतिक्रमित भूमि के संबंध में भी भविष्य में उक्त भूमि पर किसी प्रकार की कोई फसल बुवाई या कृषि कार्य कर पुनः अतिक्रमण न होने पावे इस हेतु वन स्टाफ को क्षेत्र की सतत् निगरानी हेतु निर्देशित किया गया है। **(वन परिक्षेत्राधिकारी आरोन से प्राप्त प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 332 दिनांक 15.03.2023 एवं पंचनामा संलग्न है)।**

अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि पर पुनः अतिक्रमण न हो यह सुनिश्चित करने के लिए उक्त क्षेत्र में आगामी वर्षा ऋतु के पूर्व प्रोसोपिस, बबूल इत्यादि के बीज बुवाई का कार्य भी किया जावेगा।

3. माननीय न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गये कि शिकायत में उल्लेखित व्यक्ति कालू यादव, राजपाल यादव, किशन यादव के संबंध में संयुक्त जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के बिन्दु 2.2.1 में लेख किया गया है कि कालू यादव एवं उसके लड़कों का मौके पर अतिक्रमण नहीं है इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें।

उक्त संबंध में निवेदन है कि वन परिक्षेत्र अधिकारी आरोन से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पूर्व में की गई जांच में शिकायत में उल्लेखित स्थल पर कालू (कल्लू) यादव तथा उसके लड़के राजपाल यादव एवं किशन (कृष्णभान) यादव का कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया था। वर्तमान में वन स्टॉफ द्वारा दिनांक 16.03.2023 को पुनः मौका स्थल देखा गया जिसमें शिकायत में वर्णित स्थल पर कालू (कल्लू) यादव तथा उसके लड़के राजपाल यादव एवं किशन (कृष्णभान) यादव का कोई अतिक्रमण या कब्जा वन भूमि पर नहीं पाया गया है। **(वन परिक्षेत्राधिकारी आरोन से प्राप्त प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 339 दिनांक 16.03.2023 एवं पंचनामा संलग्न है)।**

माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी नोटिस में उल्लेखित प्रतिवादी क्रमांक 5 से 9 जिनके विरूद्ध शिकायत की गई है के संबंध में प्रतिवादी वार स्थिति एवं की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है–

प्रतिवादी क्र.	प्रतिवादी का नाम	शिकायत जांच में वनभूमि पर अतिक्रमण/कब्जा पाया गया अथवा नहीं (रकवा हे. में.)	संबंधित के विरूद्ध जारी वन अपराध प्रकरण क्र. /दिनांक	संबंधित के विरूद्ध जारी बेदखली आदेश क्र. /दिनांक	बेदखली की कार्यवाही करने का दिनांक	वन विभाग द्वारा वन भूमि पुनः आधिपत्य में लेने का दिनांक
5	श्री कालू यादव	नहीं	–	–	–	–
6	श्री राजपाल यादव	नहीं	–	–	–	–
7	श्री किशन यादव	नहीं	–	–	–	–
8	श्री रामभान यादव	हाँ (1.440)	110/21 दि. 06.03.2021	1520 दि. 01.08.2022	14.03.23 (मौके पर कोई फसल नहीं पाई गई)	15.03.2023
9	श्री सुरेश अहिरवार पुत्र मांगीलाल अहिरवार	हाँ (0.418)	110/27 दि. 19.08.2021	1521 दि. 01.08.2022	14.03.2023	14.03.2023

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

क्रमांक / व.नि.स. / वरिष्ठ–NGT-46 / 2023 / 2493 गुना दिनांक / 16/3/23

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक शिवपुरी वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. कलेक्टर जिला गुना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

4. वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र आरोन की ओर उनके पत्र क्र. / 332, 335 दिनांक 15.03.2023 के संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि आप स्वयं भी उक्त क्षेत्र पर सतत् निगरानी रखें। प्रश्नाधीन क्षेत्रों में किसी भी परिस्थिति में पुनः अतिक्रमण न होने पाये। उक्त क्षेत्र में आगामी वर्षा ऋतु के पूर्व प्रोसोपिस, बबूल अथवा अन्य उपयुक्त प्रजाति के बीज बुवाई का कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

E:\Steno\New Letter 2023.doc

कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र आरोन

E-Mail- rangearon@rediffmail.com, rotaron@mp.gov.in, Ph.- 07545258618

क्रमांक / 332 दिनांक 15.3.23

प्रति,

श्रीमान् वन मण्डलाधिकारी महोदय,
सामान्य वन मण्डल गुना (म.प्र.)

विषय :- बेदखली आदेश क्रमांक / मा.चि. / 1520 / गुना, दिनांक 01.08.2022 का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वावत्।

संदर्भ :- बेदखली आदेश क्रमांक / मा.चि. / 1520 / गुना, दिनांक 01.08.2022 के संबंध में एवं प.स. वरखेड़ाहाट के पत्र क्र. क्यू 01 दि. 15.03.2023

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित बेदखली आदेश के पालन में निवेदन है कि वन अपराध पी.ओ.आर. प्रकरण क्र. 110 / 21 दिनांक 06.03.2021 में अतिक्रमणकारी रामभान पुत्र रघुवीर यादव निवासी लठ्या द्वारा अतिक्रमित भूमि (1.440 हे.) के संबंध में श्रीमान् वन मण्डलाधिकारी महोदय गुना से बेदखली आदेश क्रमांक / मा.चि. / 1520 / गुना, दिनांक 01.08. 2022 जारी करा आदेश की प्रति आरोपी रामभान यादव को वितरित कराई गई। उक्त अतिक्रमित भूमि का मेरे द्वारा वन स्टॉफ के साथ दिनांक 14.03.2023 को निरीक्षण किया गया। मौके पर उक्त भूमि पूर्णतः खाली पाई गई उस पर किसी भी प्रकार की कोई फसल नहीं पाई गई। मौके पर संबंधित वन स्टॉफ को निर्देशित किया कि उक्त खाली पड़ी भूमि को पूर्णतः वन विभाग के आधिपत्य में लेकर निरंतर निगराने रखी जावे ताकि उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार की फसव अथवा कृषि कार्य कर अतिक्रमण न किया जा सके। इस आसय के संबंध में इस कार्यलय के पत्र क्रमांक 330 दिनांक 15.03.2023 से भी परिक्षेत्र सहायक वरखेड़ाहाट को लेख किया गया। उक्त निर्देशों एवं पत्र के पालन में परिक्षेत्र सहायक वरखेड़ाहाट द्वारा वन स्टॉफ के साथ 15.03.2023 को मौके पर पहुंचकर उक्त अतिक्रमित भूमि रकवा 1.440 हे. जिस पर वर्तमान में कोई फसल आदि न पाई जाकर पूर्णतः खाली पाई गई, को पूर्णतः वन विभाग के आधिपत्य में लिया गया। बेदखली आदेश पालन प्रतिवेदन श्रीमान् जी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न :- पंचनामा दिनांक 14.03.2023,
पंचनामा एवं प.स. वरखेड़ाहाट का प्रतिवेदन दि. 15.03.2023

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र आरोन

क्रमांक / दिनांक ....

प्रतिलिपि :- परिक्षेत्र सहायक वरखेड़ाहाट एवं बीट गार्ड बीट मिर्जापुर (ब) की ओर भेजकर लेख है कि वन अपराध प्रकरण क्रमांक 110 / 21 दिनांक 06.03.2021 में अतिक्रमित भूमि जो कि वन विभाग के आधिपत्य में ली गई है, की सतत् निगरानी आपके द्वारा की जावे। उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार की कोई फसल बुवाई कार्य या कृषि कार्य कर पुनः अतिक्रमण न होने पावे।

Sd
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र आरोन

खाता नं. || 38548100022224

पंचनामा

स्थान - कक्ष क्र. P155
दिनांक - 14/03/2023

हम सभी पंचगण नीचे हस्ताक्षर निशानी अंगूठा करने वाले सही - सही तस्दीक कर यह पंचनामा लिखा देते है। कि आज दिनांक 14/03/2023 को श्री मान वनपरिक्षेत्राधिकारी महो. आरोन के हमराह वनस्टाफ बीट मिर्जापुर (ब) के कक्ष क्र. P155 मे पहुंचे। तथा माननीय NGT मे प्रचलित प्रकरण क्र. 376/2022 में उल्लेखित अतिक्रमित वन भूमि जिसका पूर्व मे P.O.R. प्रकरण क्र. 110/21 दि. 6/3/21 मे आरोपी - रामभान निवासी लहुया के विरूद्ध 1.440 हे. वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध मे दर्ज किया गया. पर पहुंचे मौके पर वर्तमान मे कोई फसल नहीं पाई गई। वनपरिक्षेत्राधिकारी आरोन द्वारा संबंधित वन स्टाफ को मौके पर निर्देशित किया गया। कि उक्त भूमि को पुलिः वन विभाग के अधिपत्य मे लेकर निरंतर निगरानी रखी जावे। ताकि उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार की फसल अथवा कृषि कर अतिक्रमण न किया जा सके। साथ ही निर्देशित किया गया कि बारिश के पूर्व उक्त भूमि में खैर - बबूल के बीजो का छिड़काव किया जावे।

मौका पंचनामा लिखा गया सो सही है। वक्त जरूरत काम आवे।

पंचनामा मेरे द्वारा लिखा गया।

Prashant Jain
निशान्त जैन(?)
बीटगार्ड पुरामहेरा(?)

R.O. Aron
14/3/2023

Gautam
Forester
R.A. Aron
14/03/2023

14.3.23
संजय ओझा (व.र.)
बीटगार्ड मिर्जापुर 'ब'

Vitthal
विठ्ठल मीना (व.र.)
बीट अजीत (ब)

Vitthal
बीटगार्ड
14/03/2023

Hirday
हृदेश साहू (व.र.)
बीट मौरूख

Rajeev
राजा रघुवंशी
बीटगार्ड

P.B. वरखेडा
14/3/23

सहपरिक्षेत्र - बरखेड़ा

क्रमांक / 91   दिनांक 15/3/23

प्रति,

श्रीमान वन परिक्षेत्राधिकारी महोदय
वन परिक्षेत्र - आरोन

विषय:- बीट मिर्जापुर खा के कक्ष क्र. P-155 में POR क्र. 110/21 दिनांक 06/3/21 से अतिक्रमण के रूप में रही (वर्तमान में खाली पड़ी) भूमि को वन विभाग के आधिपत्य में लेने बावत।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्र. 330 दिनांक 15/3/23 के पालन में।

उपरोक्त सन्दर्भित विषय में निवेदन है कि मेरे द्वारा वन स्टाफ को साथ रखकर आपके दिनांक 14/3/23 के मौखिक निर्देश एवं आपका पत्र क्र. 330 दिनांक 15/3/23 के पालन में दिनांक 15/3/23 को बीट मिर्जापुर खा के कक्ष क्र. P-155 में POR क्र. 110/21 दिनांक 06/3/23 में आरोपी रामभान पुत्र रघुवीर यादव निवासी [illegible] द्वारा वनभूमि पर रकबा 1.440 हेक्टर अतिक्रमण की भूमि खाली पड़ी पर कुबूल, विलायती, बबूल आदि बीजों का छिड़काव कर अतिक्रमण की भूमि 1.440 हे. वन विभाग के आधिपत्य में ले लिया गया है। मौके पर आरोपी रामभान यादव नहीं मिला है तथा बीटगार्ड मिर्जापुर खा को पत्र के माध्यम से तथा मौखिक निर्देश दिये गये कि उक्त खाली पड़ी भूमि पर सतत निगरानी रखें तथा पुनः दुबारा कार्य न हो पावे।

अतः - प्रतिवेदन श्रीमान ~~[illegible]~~ जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

परिक्षेत्र सहायक
बरखेड़ा

संलग्न - पंचनामा

पंचनामा

हम सभी पंचगण नीचे हस्ताक्षर निशानी अंगूठा करने वाले सही-सही तस्दीक कर यह पंचनामा लिखा देते हैं। कि आज दिनांक 15/03/2023 को श्री मान वनपरिक्षेत्राधिकारी आरोन के मौखिक निर्देश एवं पत्र क्र. 330 दिनांक 15/03/2023 के पालन में प.स. बरखेड़ाहाट हमराह वन स्टाफ के साथ बीट मिर्जापुर (ब) के कक्ष क्र. P155 में आकर वन अपराध प्रकरण क्र. 110/21 दिनांक 6/03/21 RC No. 10/2021 में आरोपी रामभान पुत्र रघुवीर यादव निवासी लहर्या को ग्राम लहर्या में आकर तलाशा गया तथा पूछताछ करने पर आरोपी का कोई पता नहीं चला। आरोपी द्वारा वनभूमि पर किए गए अतिक्रमण रकबा 1.440 हे. पूर्ण रूप से खाली पाई गई जिस पर कोई फसल नहीं पाई गई। वन स्टाफ द्वारा खाली पड़ी भूमि रकबा 1.440 हे. पर खुबबूल, खैर, प्रोसोपिस प्रजाति के बीजो का छिड़काव कराकर मौके से अतिक्रमण पूर्णरूप से बेदखल कर वन विभाग के आधिपत्य में लिया जाकर, बीटगार्ड मिर्जापुर (ब) को क्षेत्र पर सतत निगरानी पुनः अतिक्रमण भूमि पर बुवाई कार्य ना होने बावत् निर्देशित किया गया।

मौका पंचनामा लिखा गया सो सही है। वक्त जरूरत काम आवे।

पंचनामा मेरे द्वारा
लिखा गया।

(हस्ताक्षर)
प.स. बरखेड़ाहाट
15/3/23

Nishant Jain
15/03/2023
निशान्त जैन (व.र.)
बीटगार्ड पुरासहरोन

(हस्ताक्षर)
राजा रघुवंशी
बीटगार्ड मिर्जापुर ब

मंगलसिंह

Vishal
विशाल शर्मा
बीटगार्ड आरोन-अ
15/03/23

(हस्ताक्षर) 15.3.23
संजय ओझा (व.र.)
बीटगार्ड मिर्जापुर 'अ'

कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र आरोन

E-Mail- rangearon@rediffmail.com, rotaron@mp.gov.in, Ph.- 07545258618

क्रमांक/ 331 दिनांक 15.3.23

प्रति,

श्रीमान् वन मण्डलाधिकारी महोदय,
सामान्य वन मण्डल गुना (म.प्र.)

विषय :- बेदखली आदेश क्रमांक/मा.चि./1521/गुना, दिनांक 01.08.2022 का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वावत्।

संदर्भ :- बेदखली आदेश क्रमांक/मा.चि./1521/गुना, दिनांक 01.08.2022 के संबंध में

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित बेदखली आदेश के पालन में निवेदन है कि वन अपराध पी.ओ.आर. प्रकरण क्रमांक 110/27 दिनांक 19.08.2021 सुरेश पुत्र मांगीलाल अहिरवार निवासी सांकरा द्वारा अतिक्रमित भूमि (लगभग 2 बीघा) के संबंध में श्रीमान् वन मण्डलाधिकारी महोदय गुना से बेदखली आदेश क्रमांक/मा.चि./1521/गुना, दिनांक 01.08.2022 जारी करा आदेश की प्रति आरोपी को दिनांक 05.08.2022 को वितरित कराई गई थी। उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में प्रकरण क्रमांक 376/2022 माननीय एन.जी.टी. में भी प्रचलित है।

उक्त अतिक्रमित भूमि में निजी भूमि सर्वे क्रमांक 52/3 की भूमि जिसमें 3 कच्चे टपरे तथा कुआ खुदा पाया गया को छोड़ कर (दिनांक 27.11.2022 को वन राजस्व टीम के संयुक्त सर्वे में चिन्हित की गई) उक्त सर्वे क्रमांक की सीमा से लगी हुई लगभग 1 ¼ बीघा अतिक्रमित वन भूमि (दिनांक 27.11.2022 को वन स्टॉफ द्वारा चिन्हित की गई भूमि) जिसमें खरीफ के मौसम में बोई गई मक्के की फसल के ठूठ पाये गये तथा वर्तमान में रबी की कोई फसल नहीं पाई गई, को अतिक्रमण रोधी खंती खुदवाकर तथा सर्वे क्रमांक 52/3 की निजी भूमि तथा वन भूमि सीमा पर खंती खुदवाकर पूर्णतः वन विभाग के आधिपत्य में लेकर बेदखल किया गया। बेदखली आदेश पालन प्रतिवेदन श्रीमान् जी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न :- पंचनामा दिनांक 14.03.2023

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र आरोन

क्रमांक/

दिनांक ....

प्रतिलिपि :- परिक्षेत्र सहायक वरखेड़ाहाट एवं बीट गार्ड बीट मिर्जापुर (ब) की ओर भेजकर लेख है कि वन अपराध प्रकरण क्रमांक 110/27 दिनांक 19.08.2021 में अतिक्रमित भूमि जो कि वन विभाग के आधिपत्य में लेकर बेदखल की गई है, की सतत् निगरानी आपके द्वारा की जावे। उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार की कोई फसल बुवाई कार्य या कृषि कार्य कर पुनः अतिक्रमण न होने पावे।

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र आरोन

श्रीमान् वन मण्डलाधिकारी महोदय,

पंचनामा — स्थान - कक्ष क्र० PF

दिनांक - 14/03/2023

हम पंचगण नीचे हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा करने वाले सही-सही पंचनामा लिखा देते हैं कि आज दिनांक 14/03/23 को वन परिक्षेत्राधिकारी आरोन परिक्षेत्र सहायक करैयाहाट, एवं अन्य वनस्टाफ के साथ बीट मिर्जापुर (ब) के कक्ष क्र० PF 155 में पहुँचा/मौके पर सुरेश पुत्र मांगीलाल अहिरवार के आधिपत्य वाली भूमि जिसके सम्बंध में माननीय NGT के प्रकरण क्रमांक 376/2022 प्रचलित है। तथा जिस भूमि का दिनांक 25/11/22 को वन राजस्व टीम द्वारा संयुक्त सर्वे किया गया था। तथा वन राजस्व सीमा निर्धारित कर चिन्हांकित की गयी थी। उक्त सीमा से वनक्षेत्र की ओर सुरेश पुत्र मांगीलाल अहिरवार का लगभग 1¼ बीघा क्षेत्र में खरीफ के मौसम में बोयी गयी मूंग के ठूंठ पाये गये। उक्त भूमि पर वर्तमान में रबी की कोई फसल बोयी नहीं पायी गयी। उक्त अतिक्रमण के सम्बंध में पूर्व में POR प्रकरण क्र० 110/27 दि. 19/08/2021 जारी कर बेदखली आदेश क्र० / मा. चि. / 1521 / गुना 01/8/22 जारी करा कर अनारोपी को वितरित किया गया था। चिन्हांकित वन राजस्व सीमा पर आज दिनांक को खंती खुदवायी गयी तथा वनक्षेत्र की ओर अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमणकारी खंती खुदवायी गयी तथा अतिक्रमित क्षेत्र को पूर्णतः वनविभाग के आधिपत्य में लेकर बेदखल किया गया। 03 कुंआ राजस्व सीमा में निजी भूमि में पाये गये। अतः उन्हें बेदखल नहीं किया गया।

मांगीलाल पु. रामलाल

पंचनामा मेरे द्वारा लिखा गया।

H.K. Gautam
Forester
R.A. Aron
14/03/2023

प.क्र. वर (कड़ी)
14/3/23

R.O. Aron
14/03/2022

राजा रघुवंशी
बीटगार्ड मिर्जापुर 'ब' वन समिति - ?

Vitthal
विट्ठल मीणा (व.र.)
बीट आफ? (व)
14.3.23

हल्का ? (व.र.)

संजय ओझा (व.र.)
बीटगार्ड मिर्जापुर 'अ'

Nishant Jain
निशान्त जैन (व.र.)
बीटगार्ड पुराखरखेड़ा

Vitthal
विट्ठल शर्मा
बीटगार्ड - आरोन व.म.

कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र आरोन

E-Mail- rangearon@rediffmail.com, rotaron@mp.gov.in, Ph.- 07545258618

क्रमांक / 339 दिनांक 16/03/2023

प्रति,

श्रीमान् वन मण्डलाधिकारी महोदय,
सामान्य वन मण्डल गुना (म.प्र.)

विषय :— माननीय एन.जी.टी. में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 376/2022 के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वावत्।

संदर्भ :— माननीय एन.जी.टी. में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 376/2022 के संबंध में

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि शिकायतकर्ता श्री शेख निजामुद्दीन (गुड्डू दौराना राघोगढ़ मंडल भाजपा) के द्वारा शिकायत की गई थी जिसमें कम्पार्टमेंट पी 155 में डोर की जमीन पर कल्लू यादव, राजपाल यादव, कृष्णपाल यादव निवासी सांकरा द्वारा हकाई कर फसल बोने के संबंध में उल्लेख किया है।

पूर्व में की गई जांच में शिकायत में उल्लेखित स्थल पर कल्लू यादव एवं लड़के राजपाल यादव एवं कृष्णभान यादव का कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया था इस संबंध में इस कार्यालय कं पत्र क्रमांक 993 दिनांक 03.08.2022 से श्रीमान् जी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान में वन स्टॉफ द्वारा दिनांक 16.03.2023 को मौका स्थल देखा गया जिसमें शिकायत में वर्णित स्थल पर कल्लू यादव एवं उनके लड़के राजपाल यादव एवं कृष्णपाल यादव का कोई अतिक्रमण या कब्जा वन भूमि पर नही पाया गया। (पंचनामा संलग्न है)

संलग्न :— पंचनामा

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र आरोन

H:\range aron\roaron\Ro Aron latter 08.09.2022.docx

पंचनामा

हम पंचान नीचे हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी करने वाले सही-सही यह पंचनामा लिख देते है कि आज दिनांक 16/03/23 को श्रीमान वनपरिक्षेत्राधिकारी महोदय आरोन के निर्देश पर परिक्षेत्र सहायक बरखेड़ा हाट एवं अन्य वन स्टाफ बीट मिर्जापुर 'ब' के कक्ष क्र. P-155 में डोर स्थित वन क्षेत्र पर पुनः पहुंचे। मौके पर माननीय N.G.T. में की गई शिकायत स्थल पर शिकायत में उल्लेखित व्यक्तियो कल्लू यादव एवं उनके लड़को राजपाल यादव एवं कृष्णभान यादव का कोई अतिक्रमण नही पाया गया। उक्त स्थल पर रामभान यादव का अतिक्रमण पाया गया था जिसे दिनांक 15/03/23 को नियमानुसार बेदखल कर वन विभाग के कब्जे में ले लिया गया है।

मौका पंचनामा बनाया गया, पढ़कर सुनाया जो सही है। वक्त जरूरत काम आवे।

पंचनामा मेरे द्वारा
लिखा गया।

[signature] 16.3.23
संजय ओझा (व.र.)
बीटगार्ड मिर्जापुर 'अ'

[signature]
राजा रघुवंशी
बीटगार्ड - मिर्जापुर 'ब'

[signature]
प.स. बरखेड़ाहाट
16/3/23

मन्ना

मांगीलाल

कृष्णभान

[thumb impression]
नि.अं. - कल्लू

परिशिष्ट-2 - (1)

98

कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र आरोन

E-Mail- rangearon@rediffmail.com, rotaron@mp.gov.in, Ph.- 07545258618

क्रमांक / 465 दिनांक 11.04.2023

प्रति,

श्रीमान् वन मण्डलाधिकारी महोदय,
सामान्य वन मण्डल गुना (म.प्र.)

विषय :- वन अपराध प्रकरण क्र. 110 / 27 दिनांक 19.08.2021 (आरोपी सुरेश पुत्र मांगीलाल अहिरवार निवासी सांकरा) एवं वन अपराध प्रकरण 110 / 21 दिनांक 06.03.2021 (आरोपी रामभान यादव पुत्र रघुवीर यादव निवासी ग्राम लठ्या) में अतिक्रमण बेदखली उपरांत आरोपियों पर किये गये अर्थदण्ड एवं प्रकरण अभिसंधानित किये जाने के विषय में सूचना बावत्।

संदर्भ :- माननीय एन.जी.टी. में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 376 / 2022

---000---

उपर्युक्त विषय में संदर्भातर्गत निवेदन है कि -

1. वन अपराध प्रकरण 110 / 27 दिनांक 19.08.2021 विरूद्ध सुरेश पुत्र मांगीलाल अहिरवार निवासी ग्राम सांकरा द्वारा अतिक्रमित भूमि 1¼ बीघा को दिनांक 14.03.2023 को जे.सी.बी. मशीन से अतिक्रमण रोधी ट्रंच खुदवाकर अतिक्रमण पूर्ण रूप से बेदखल कर वन विभाग के आधिपत्य में ले लिया गया था। बेदखली प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / 335 / दिनांक 15.03.2023 से श्रीमान् जी को प्रेषित किया गया था।

उक्त प्रकरण में श्रीमान् प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वन मण्डलाधिकारी महोदय बीनागंज के बसूली सूचना पत्र क्रमांक 02 / 2023 दिनांक 06.04.2023 (संलग्न) के पालन में 11 ठूठों की राशि 5070.00 की दुगनी राशि 10140.00 एवं अर्थदण्ड की राशि 2000.00 रूपये कुल राशि 12140.00 रूपये एम.आर.नं. 8833 / 44 दिनांक 08.04.2023 से बसूल कर चालान नम्बर 051/9999999/0406/04/23/000714 दिनांक 10.04.2023 से एस.बी.आई शाखा गुना को जमा किये गये। उपरांत कार्यालय उप वन मंडलाधिकारी सामान्य उपवन मंडल बीनागंज के प्रकरण क्रमांक / निर्णय / 2023 / 02 / 23-24 / जावक क्र. / 766 / दिनांक 11.04.2023 से प्रकरण को श्रीमान् प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वनमंडलाधिकारी बीनागंज द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 68 के अंतर्गत प्रकरण अभिसंधानित किया गया है। (संलग्न है)

2. वन अपराध प्रकरण 110 / 21 दिनांक 06.03.2021 विरूद्ध रामभान यादव पुत्र रघुवीर यादव निवासी ग्राम लठ्या द्वारा अतिक्रमित भूमि रकवा 1.440 हेक्टेयर को दिनांक 15.03.2023 को पूर्णतः बेदखल कर वन विभाग के आधिपत्य में ले लिया गया था। बेदखली प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / 332 / दिनांक 15.03.2023 से एवं प्रतिवेदन पत्र क्रमांक / 339 / दिनांक 16.03.2023 से श्रीमान् जी को प्रेषित किया गया था।

उक्त प्रकरण में श्रीमान् प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वन मण्डलाधिकारी महोदय बीनागंज के बसूली सूचना पत्र क्रमांक 03 / 2023 दिनांक 06.04.2023 (संलग्न) के पालन में अर्थदण्ड की राशि 2000.00 रूपये एम.आर.नं. 8814 / 100 दिनांक 08.04.2023 से बसूल कर चालान नम्बर 051/9999999/0406/04/23/000714 दिनांक 10.04.2023 से एस.बी.आई शाखा गुना को जमा किये गये। उपरांत कार्यालय उप वन मंडलाधिकारी सामान्य उपवन मंडल बीनागंज के प्रकरण क्रमांक / निर्णय / 2023 / 01 / 23-24 / जावक क्र. / 764 / दिनांक 11.04.2023 से प्रकरण को श्रीमान् प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वनमंडलाधिकारी बीनागंज द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 68 के अंतर्गत प्रकरण अभिसंधानित किया गया है। (संलग्न है)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र आरोन

कार्यालय उप वन मण्डलाधिकारी (सा.)उप वन मण्डल बीनागंज (मुख्यालय राघौगढ़)

E-mail ID :- sdoFTbinaganj@mp.gov.in, Mobile No. 9424794691

क्रमांक / 2023 / ________ राघौगढ़, दिनांक / ________

वसूली सूचना–पत्र 02/2023

प्रति,

सुरेश पुत्र मांगीलाल अहिरवार
निवासी सांकरा जिला गुना म.प्र.

द्वारा :- वन परिक्षेत्राधिकारी, आरोन

विषयः– वन अपराध प्रकरण क्रमांक 110/27 दिनांक 19.08.2021, आर.सी. नंबर 57/2021 ।

संदर्भ– प.अ. आरोन का पत्र क्रमांक 409 दिनांक 05.04.2022 ।

वन परिक्षेत्र आरोन के पी.ओ.आर. क्रमांक 110/27 दिनांक 19.08.2021 में आप अभियुक्त है। जिसमें आपके द्वारा प्रकरण अभिसंधान हेतु वनविभाग को राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। आप प्रकरण में निम्नानुसार राशि एक मुश्त दिनांक 30-04-2023 के पूर्व जमा करावे।

जप्ती का विवरण

बीट मिर्जापुर ब के कक्ष क्रमांक पी–155 में अवैध कटाई कर अतिक्रमण किया गया था उक्त प्रकरण में माननीय एन.जी.टी. मे प्रचलित होने से दिनांक 27.11.2022 को वन एवं राजस्व विभाग केसाथ संयुक्त सीमांकन करने पर कुछ अतिक्रमण राजस्व भूमि के सर्वे नंबर 52/3 में रकबा 2.090 हेक्टयर का पट्टा पाया गया था। पट्टेके अलावा 1 ¼ बीघा पर वन स्टाफ द्वारा दिनांक 14.03.2022 को जे.सी.बी. मशीन से अतिक्रमण रोधी ट्रंच खुदवाकर अतिक्रमण पूर्ण रूप से बेदखल किया।

प्रकरण मे आरोपी से 11 ठूठो की राशि 5070.00 है की दुगनी राशि –	10140.00
आरोपी पर अर्थदण्ड की राशि –	2000.00
योग –	12140.00

सुरेश

(आर.सी. डामोर)
प्राधिकृत अधिकारी एवं
उप वन मण्डलाधिकारी
बीनागंज

पृ.क्रमांक / 666 राघौगढ़, दिनांक / 06-4-23

प्रतिलिपि :–

वन परिक्षेत्राधिकारी आरोन की ओर लेख है कि प्रकरण मे उक्त वसूली 15 दिवस मे कराई जाकर प्रकरण अभिसंधान हेतु इस कार्यालय मे भिजवाना सुनिश्चित करें। ताकि प्रशमन का औपचारिक आदेश पारित किया जा सकें। यदि अभियुक्त एवं जमानतदार निर्धारित अवधि तक कुल धन राशि जमा नहीं करता है तो संबधित के विरुद्ध न्यायालय मे चालान पेश कर इस कार्यालय को अवगत करें।

संलग्न – मूल प्रकरण उपरोक्तानुसार

मूल केस नम्बर– 57/2021

आ.नं. 421 6.4.23

266 6.4.23

(आर.सी. डामोर)
प्राधिकृत अधिकारी एवं
उप वन मण्डलाधिकारी
बीनागंज

2023/letter/Vasuli suchna/1

[illegible]

संलग्न – [illegible]

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र आरोन

100

MONEY RECEIPT

8833 — 44 Page No........

Department M. P..... गुना ....Division

आरोन ....Range, Received from...... सुरेश पुत्र मांगीलाल आहिरवार नि. (सोमरा) the sum of (in figures & words) Rs.... 12140=00

(बारह हजार एक सौ चालीस मात्र) on account of the following:—

Details	Amount
	Rs. p.
P.O.R. No. 110/27 दिनांक 19/8/21 R.C. No 57/2021 से एवं श्रीमान उपवनमंडलाधिकारी महो० बीनागंज के पत्र क्रमांक 02/23 से अर्थदण्ड की राशि — 12140=00	12140=00
योग 12140=00	
Total ..	12140=00

Dated.... 08/04/2023

परिक्षेत्र सहायक Signature of the Officer
वन परिक्षेत्र आरोन
जिला गुना (म.प्र.)

Cash Book Reference ... Item No.... 03 ...of........ Bank.

Chalan or Rev. M. O. No.................date. 10/4/2023

051/9999999/

Checked by........................Revenue Accountant

.................................(date)

GRPP—345—DCS—1...

कार्यालय उप वन मण्डलाधिकारी, सामान्य उप वन मण्डल बीनागंज जिला गुना म.प्र.

प्रकरण कमांक / निर्णय / 2023 / 02 / 28-21 / जावक कमांक / 766 दिनांक 11.04.2023

प्रति,

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र आरोन

विषय :- वन अपराध प्रकरण कमांक 110 / 27 दिनांक 19.08.2021 आर.सी. नंबर 57 / 2021।
संदर्भ :- आपका प्रतिवेदन कमांक 442 दिनांक 10.04.2023।

पी.ओ.आर. क्र. 110 / 27 दिनांक 19.08.2021 मे अभियुक्त सुरेश पुत्र मांगीलाल अहिरवार निवासी ग्राम सावरा तहसील आरोन जिला गुना के विरूद्ध निरूपित हुआ है।

-: जप्ती का विवरण :-

बीट मिर्जापुर ब के कक्ष कमांक पी-155 मे अवैध कटाई कर अतिक्रमण किया गया था उक्त प्रकरण मे माननीय एन.जी.टी. मे प्रचलित होने से दिनांक 27.11.2022 को वन एवं राजस्व विभाग केसाथ संयुक्त सीमांकन करने पर कुछ अतिक्रमण राजस्व भूमि के सर्वे नंबर 52 / 3 मे रकबा 2.090 हेक्टयर का पट्टा पाया गया था। पट्टेके अलावा 1 ¼ बीघा पर वन स्टाफ द्वारा दिनांक 14.03.2022 को जे.सी.बी. मशीन से अतिक्रमण रोधी ट्रंच खुदवाकर अतिक्रमण पूर्ण रूप से बेदखल किया।

अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार किया है। उपरोक्त प्रकरण मे अपराधी से अर्थदण्डर की राशि 12140.00 को एम.आर. नंबर 8833 / 44 दिनांक 08.04.2023 से वसूली कर चालान नंबर 051 / 9999999 / 0406 / 04 / 23 / 000714 दिनांक 10.04.2023 एस.बी.आई. शाखा गुना को जमा किये जो निम्नानुसार है –

प्रकरण मे आरोपी से 11 ठूंठो की राशि 5070.00 है की दुगनी राशि –	10140.00
आरोपी पर अर्थदण्ड की राशि –	2000.00
योग –	12140.00

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 68 के अन्तर्गत प्रकरण अनिराधानित किया जाता है, बाद पूर्ति पत्रावली वापस भेजे।

संलग्न :- आर.सी. नंबर 57 / 2021
मूल प्रकरण उपरोक्तानुसार।

(आर.सी. डामोर)
प्राधिकृत अधिकारी एवं उ.व.म.अ.
उप वन मण्डल बीनागंज

पृ0क0 / 767 दिनांक / 11.04.2023
प्रतिलिपि :- श्रीमान वन मण्डलाधिकारी (सा0) वन मण्डल गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(आर.सी. डामोर)
प्राधिकृत अधिकारी एवं उ.व.म.अ.
उप वन मण्डल बीनागंज

कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र आरोन

कमांक ....

प्रति, दिनांक ....

श्रीमान उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डलाधिकारी बीनागंज

यथावत् प्रत्यापित कर निवेदन है कि क्षतिपूर्ति धन रूपया .... जप्त वनोपज की राशि ... योग रूपये........... मनी रसीद बुक नं. .... दि. .... पृ0क0 वसूल कर चालान नंबर .... दिनांक .... उपकोषालय स्टेट बैंक .... मे जमा कर दी गई है। यह धनराशि कैशबुक जमा आवटन न.... दि .... से जमा की गयी।

उपरोक्त विवरण की जांच कर उल्लेख सही पाया गया है।
राजस्व लेखापाल वन मण्डल कार्यालय गुना

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र आरोन

कार्यालय उप वन मण्डलाधिकारी (सा.)उप वन मण्डल बीनागंज (मुख्यालय राघौगढ़)
E-mail ID :- sdoFTbinaganj@mp.gov.in, Mobile No. 9424794691

क्रमांक / 2023 / ....

राघौगढ़, दिनांक / ....

वसूली सूचना–पत्र

(03/2023)

प्रति,

रामभान पुत्र रघुवीर यादव
निवासी लादया जिला गुना म.प्र.

द्वारा :– वन परिक्षेत्राधिकारी, आरोन

विषय– वन अपराध प्रकरण क्रमांक 110/21 दिनांक 08.03.2021, आर.सी. नंबर 10/2021 ।

संदर्भ– प.अ. आरोन का पत्र क्रमांक 410 दिनांक 05.04.2022।

वन परिक्षेत्र आरोन के पी.ओ.आर. क्रमांक 110/21 दिनांक 08.03.2021 मे आप अभियुक्त है। जिसमे आपके द्वारा प्रकरण अभिसंधान हेतु वनविभाग को राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। आप प्रकरण मे निम्नानुसार राशि एक मुश्त दिनांक 30-04-2023 के पूर्व जमा करावे।

जप्ती का विवरण

बीट मिर्जापुर ब के कक्ष क्रमांक पी–155 में 1.440 हेक्टयर वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था। परिक्षेत्र सहायक बरखेड़ाहाट द्वारा आरोपी का न्यायालय मे परिवाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु बार–बार पकड़ने का प्रयास किया गया लेकिन आरोपी नही मिला। दिनांक 15.03.2023 को वनस्टाफ द्वारा कब्जे की भूमि पर खैर, बबूल, प्रोसोपिस आदि के बीजो को छिड़काव कर अतिक्रमण को बेदखल की वन विभाग में आधिपत्य मे लिया गया है।

प्रकरण मे आरोपी से अर्थदण्ड की राशि – 2000.00
योग –2000.00

(आर.सी. डामोर)
प्राधिकृत अधिकारी एवं
उप वन मण्डलाधिकारी
बीनागंज

पृ.क्रमांक / 668

राघौगढ़, दिनांक / 06-4-23

प्रतिलिपि :–

वन परिक्षेत्राधिकारी आरोन की ओर लेख है कि प्रकरण मे उक्त वसूली 15 दिवस मे कराई जाकर प्रकरण अभिसंधान हेतु इस कार्यालय मे भिजवाना सुनिश्चित करे। ताकि प्रशमन का औपचारिक आदेश पारित किया जा सके। यदि अभियुक्त एवं जमानतदार निर्धारित अवधि तक कुल धन राशि जमा नहीं करता है तो संबंधित के विरुद्ध न्यायालय मे चालान पेश कर इस कार्यालय को अवगत करे।

संलग्न – मूल प्रकरण उपरोक्तानुसार

केस रजि. नम्बर– 10/2021

(आ.नं. [illegible]
420
6.4.23

20

(आर.सी. डामोर)
प्राधिकृत अधिकारी एवं
उप वन मण्डलाधिकारी
बीनागंज

परिक्षेत्र सहायक बरखेड़ाहाट, प्रकरण में कार्यवाही कर नियमानुसार वसूली कर प्रकरण प्रस्तुत करें।
संलग्न- मूल प्रकरण

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र-आरोन

—160

MONEY RECEIPT

100

8814 -

Page No..........

वर्ष 2016

Forest Department M. P. ......गुना...... Division

......आरोन...... Range, Received from ......रामश्याम पुत्र......

......बद्रीप्रसाद ग्राम... the sum of (in figures & words) Rs. 2000=00

......(दो हजार रुपये मात्र)...... on account of the following:—

Details	Amount	
	Rs.	p.
P.O.R. No. 110/21 दिनांक 06/3/21 R.C.No. 10/2021 से संबंधित उ.व.म.अ. चाचौड़ा के पत्र क्रमांक 668 दिनांक 06/4/23 के पालन में अर्थदंड की राशि = 2000=00	2000=	00
राशि 2000=00		
Total ..	2000=	00

Dated 08/04/2023

Signature Forest Officer.

Cash Book Reference Dr. Item No. ...02...... of .... Bank.

Chalan or Rev. M. O. No. ....date. 10/4/2023

651/99999999/0406/04/23/000714

Checked by .... Revenue Accountant

.... on .... (date)

RPR—345—DCFS—12-3-83—5,000 Books.

104

कार्यालय उप वन मण्डलाधिकारी, सामान्य उप वन मण्डल बीनागंज जिला गुना म.प्र.

प्रकरण कमांक/निर्णय/2023/01/33-84 जावक कमांक/764 दिनांक 11.04.2023

प्रति,

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र आरोन

विषय :- वन अपराध प्रकरण कमांक 110/21 दिनांक 06.03.2021 आर.सी. नंबर 10/2021।
संदर्भ :- आपका प्रतिवेदन कमांक 441 दिनांक 10.04.2023।

पी.ओ.आर. कं. 110/21 दिनांक 06.03.2021 मे अभियुक्त रामभान यादव पुत्र रघुवीर यादव निवासी ग्राम लहया तहसील आरोन जिला गुना के विरूद्व निरूपित हुआ है।

-: जप्ती का विवरण :-

बीट मिर्जापुर ब के कक्ष कमांक पी-155 मे 1.440 हेक्टयर वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था। परिक्षेत्र सहायक बरखेड़ाहाट द्वारा आरोपी का न्यायालय मे परिवाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु बार-बार पकड़ने का प्रयास किया गया लेकिन आरोपी नही मिला। दिनांक 15.03.2023 को वनस्टाफ द्वारा कब्जे की भूमि पर खैर, बबूल, प्रोसोपिस आदि के बीजों को छिडकाव कर अतिक्रमण को बेदखल की वन विभाग मे आधिपत्य मे लिया गया है।

अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार किया है। उपरोक्त प्रकरण मे अपराधी से अर्थदण्डर की राशि 2000.00 को एम.आर. नंबर 8814/100 दिनांक 08.04.2023 से वसूली कर चालान नंबर 051/9999999/0406/04/23/000714 दिनांक 10.04.2023 एस.बी.आई. शाखा गुना को जमा किये जो निम्नानुसार है :-

प्रकरण मे आरोपी से अर्थदण्ड की राशि - 2000.00
योग -2000.00

अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 68 के अन्तर्गत प्रकरण अभिसंधानित किया जाता है, बाद पूर्ति पत्रावली वापस भेजे।
संलग्न :- आर.सी. नंबर 10/2021
मूल प्रकरण उपरोक्तानुसार।

(आर.सी. डामोर)
प्राधिकृत अधिकारी एवं उ.व.म.अ.
उप वन मण्डल बीनागंज

पृ0क0 /765 दिनांक 11.04.2023
प्रतिलिपि :- श्रीमान वन मण्डलाधिकारी (सा0) वन मण्डल गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(आर.सी. डामोर)
प्राधिकृत अधिकारी एवं उ.व.म.अ.
उप वन मण्डल बीनागंज

कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र आरोन

क्रमांक .... दिनांक ....
प्रति,

श्रीमान उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डलाधिकारी बीनागज

सधन्यवाद प्रत्यापित कर निवेदन है कि क्षतिपूर्ति धन रूपया .... जप्त वनोपज की राशि ...... योग रूपये .... मनी रसीद बुक नं. .... दि. .... पृ0क0 वसूल कर चालान नंबर .... दिनांक .... उपकोषालय स्टेट बैंक ...... मे जमा कर दी गई है। यह धनराशि केशबुक जमा आयटन न...... दि. ...... से जमा की गयी।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र आरोन

उपरोक्त विवरण की जांच कर उल्लेख सही पाया गया है।
राजस्व लेखापाल वन मण्डल कार्यालय गुना